राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.4(44)/कृषि (ग्रुप–2)/2019 जयपुर दिनांकः 12 दिसंबर, 2019

अधिसूचना

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना – 2019

राजस्थान प्रदेश को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादो का उत्पादन एवं आपूर्ति केन्द्र बनाने एवं देश–विदेश के निवेशकों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा **राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति – 2019** (जिसे आगे 'नीति' कहा गया है) को अनुमोदित किया हैं। नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार जनहित में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना – 2019 (जिसे आगे 'योजना' कहा गया है) प्रकाशित करती हैं। यह योजना नीति का हिस्सा होगी, जो योजना के परिशिष्ठ (i) में वर्णित पात्र कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन क्षेत्र में नवीन इकाई की स्थापना एवं मौजूदा प्रसंस्करण इकाई के नवीनीकरण, विस्तार तथा विविधीकरण पर लागू होगी।

1. क्रियान्वयन अवधि

यह योजना राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी एवं 31 मार्च, 2024 (नीति के प्रभावी रहने तक) तक प्रभावी रहेगी व वर्ष 2021 में इसकी समीक्षा की जावेगी।

2. परिभाषाए

जब तक संदर्भित विषय में अन्यथा आवश्यक न हो, इस योजना में :

''कृषि उत्पाद'' से तात्पर्य कृषि, उद्यान, रेशम कीट पालन, फूलों की खेती, सुगन्धित, वनस्पति एवं औषधीय पौधें, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध तथा लघु वन उपज तथा पशु पालन से सम्बन्धित उत्पाद है।

''कृषि समूह'' से तात्पर्य एक ऐसा क्षेत्र है, जहां किसान, सकंलनकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता और वितरकों के समूह जिनके द्वारा कृषि उत्पादों के लिए एक ही स्थान पर बाजार उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ''किसान सम्पदा योजना'' या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य योजनान्तर्गत गठित कृषि प्रसंस्करण समूह अथवा जैसा सरकार अधिसूचित करे, भी नीति में सम्मिलित होंगे।

''कृषि विपणन या कृषि व्यवसाय'' से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जो अधिकतर राजस्व कृषि से, जिसमें कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, निर्माण तथा वितरण सम्मिलित है, से प्राप्त करता हैं।

''कृषि प्रसंस्करण'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कृषि उत्पादों, कृषि अवशिष्ट और मध्यवर्ती कृषि उत्पादों के उपयोग से इस प्रकार उत्पाद तैयार होते हैं एवं उससे अंतिम कृषि उत्पाद की प्रकृति में परिवर्तन होता हो।

''कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन क्षेत्र'' से तात्पर्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें उद्यमी उक्तानुसार परिभाषित कृषि प्रसंस्रण एवं कृषि व्यवसाय या कृषि विपणन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त हो।

''पिछड़ा क्षेत्र'' से तात्पर्य ऐसा क्षेत्र है जो सरकार आदेश द्वारा अधिसूचित करे।

''संग्रहण/एकत्रीकरण केन्द्र'' से तात्पर्य ऐसा स्थान जहां कृषि उत्पाद को अग्रणी विपणन प्रणाली (फोरवार्ड मार्केटिंग चेनल) में विक्रित करने के लिए प्राथमिक रुप से तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे प्लेटफॉर्म, सफाई, वर्गीकरण, जांच, भंडारागार और/अथवा शीत भंडारागार, इलेक्ट्रोनिक तुलाई काटें इत्यादि उपलब्ध हो, से है।

''जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति'' से तात्पर्य नीति के अंतर्गत वर्णित प्रक्रियानुसार प्रस्तावों की अनुवीक्षण एवं स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति (DLSC) समिति से है।

''कृषक'' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो सक्रिय रूप से फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आर्थिक तथा आजीविका गतिविधियों में संलिप्त हो।

''कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी'' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 1956 (इसमें कोई संशोधन या पुनः अधिनियमित करना सम्मिलित हैं) के भाग ix A में परिभाषित कृषक सदस्यों की ऐसी कंपनी से है जिसे कंपनी पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (ROC)) के द्वारा यह निगमित किया गया हो, से है। कृषक उत्पादक संगठनों की सहकारी आदि अन्य श्रेणियां को बाद के चरणों में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता हैं। एक कृषक उत्पादक संगठन/ कृषक उत्पादक कम्पनी (FPO/FPC) में इस नीति के तहत लाभ लेने के लिए 50 या अधिक कृषक सदस्य होने चाहिए।

''फूड पार्क'' से तात्पर्य ऐसा क्षेत्र जहां कृषक, संग्रहणकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता, वितरक एवं खुदरा विक्रेताओं को समूह में एक जगह एकत्रित कर कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भारत सरकार की योजना के तहत स्थापित मेगा फूड पार्क भी सम्मिलित हैं।

''खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें जहां उद्यमी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में संलिप्त रहते है जिसमें कृषि, पशुपालन या मत्स्य से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर मनुष्य के खाने योग्य खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता हो।

''निवेश'' या ''पात्र स्थाई पूंजी निवेश (Investment or Eligible Fixed Capital Investment -EFCI)" से तात्पर्य अंतिम उत्पाद के निर्माण में या सेवा प्रदान करने हेतु व्यवसायिक उत्पादन की तिथि तक नए भवन, नए प्लांट व मशीनरी तथा अन्य सम्बद्ध स्थाई परिसंपत्ति में किये गये आवश्यक निवेश से हैं (शर्त यह है कि परिशिष्ठ–(iii) में उल्लेखित अयोग्य वस्तुओं को पात्र निवेश गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा)

''मंडी शुल्क/उपयोक्ता प्रभार (Mandi Fee/User Charge)'' से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणि अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिरोपित मंडी शुल्क/उपयोक्ता प्रभार से हैं।

''सेवा सर्विस उद्यम'' से तात्पर्य भंडारागार, शीत भंडारागार, सेवा, ई–विपणन, वर्गीकरण, मानकीकरण, जांच करना (Assaying) जैसी एवं मंडी अधिनियम में वर्णित अन्य सेवायें प्रदान करने में संलिप्त उद्यमों से हैं।

''राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति'' से तात्पर्य नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत करने एवं प्रदेय लाभों की प्रगति की निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) से है।

''वर्ष'' से तात्पर्य वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) और त्रैमास से तात्पर्य 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही अवधि से है।

इस योजना में जो शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ आई हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया हैं, उनका अर्थ प्रभावी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अनुरुप होगा।

3. उद्यमों का वर्गीकरण

सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम (MSME) :– का अर्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिसूचित निर्माता उद्यम से हैं।

4. अनुदान/सहायता/परिलाभ

(i) पात्र व्यक्ति/संस्था

कोई भी व्यक्ति, कृषको/उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी जो संबंधित कम्पनी अधिनियमों/ सहकारी समिति अधिनियम/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिसमें किसान सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 हो, भागीदारी/स्वत्वधारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनियॉ, निगम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियॉ, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में संलित सहकारी विपणन संघ, इस नीति के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगें।

(ii) पात्र क्षेत्र :

परिशिष्ट (i) में सूचीबद्व क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली सभी मुख्य गतिविधियॉ इस नीति के तहत देय लाभों के लिए पात्र होगी।

(iii) अपात्र क्षेत्र :

परिशिष्ट (ii) में सूचीबद्व गतिविधियॉ इस नीति के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगी।

(iv) अपात्र वस्तुएं/व्यय

परिशिष्ट **(iii)** में उल्लेखित अपात्र वस्तुए/व्यय निवेश इस योजना के अन्तर्गत पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत करने के लिए पात्र स्थाई पूंजी निवेश (EFCI)" की गणना में सम्मिलित नहीं होगें।

(v) इस योजना के अन्तर्गत देय विभिन्न अनुदान/सहायता/परिलाभ निम्न मूलभूत मानदंडों से निर्देशित होंगेः

a. पूंजी, ब्याज एवं भाड़ा अनुदान प्राप्त करने वाले उद्यम राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में समान प्रकार के परिलाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।
b. भारत सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में देय लाभ समानान्तर रुप से तभी प्राप्य होगे जबकि योजना के संबंधित बिंदु में ऐसा उल्लेख हो।

c. योजना में आगे वर्णित बिन्दु **'स'** एवं **'द'** के किसी भी प्रभाग में वर्णित उपलब्ध सहायता/परिलाभ भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी एक योजना में ही लिये जा सकेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत निम्न अनुदान/सहायता/परिलाभ देय होगे :

A. पूंजी निवेश अनुदान :

अनुदान के लिए परियोजना के पात्र स्थाई पूंजी निवेश (EFCI)" की गणना वित्तीय संस्थान या चार्टेड़ अकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित लागत, जो भी कम हो, के आधार पर की जायेगी तथा अनुदान एवं कुल परिलाभों की अधिकतम सीमा निम्न सारणी के अनुसार होगी–

श्रेणी	अनुदान दर	अनुदान सीमा (रुपये लाख में)	विशेष विवरण
1. पूंजी निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy)			
i) कृषक या उनके संगठन	50 प्रतिशत	100	अतिरिक्त अनुदान (Top Up Subsidy) देय नहीं
ii) कृषक या उनके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी	25 प्रतिशत	50	
2. अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान (Top Up Capital Investment Subsidy)			
i) कृषक या उनके संगठन	10 प्रतिशत	100	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना/एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना, भारत सरकार द्वारा घोषित मेगाफूड पार्क, कृषि समूह में स्वीकृत परियोजनाएं अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान अनुदान के लिए पात्र होगी। इसी प्रकार के परिलाभ ग्रामीण क्षेत्रों में /एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार एवं एकीकृत कृषि विपणन योजना के योजनान्तर्गत फल सब्जी एवं सरकार द्वारा घोषित अन्य वस्तुओं/गतिविधियों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र स्थापित करने के लिए भी देय होगे।
ii) कृषक या उनके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी	10 प्रतिशत	50	

पूंजी अनुदान प्रदान किये जाने की शर्तें :

i) सभी प्रकार के अनुदान बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इस योजना की अधिसूचना के बाद स्वीकृत परियोजनाओं पर ही देय होंगे।

ii) परिशिष्ठ (iii) पर दी गई अनुसूची में उल्लेखित अपात्र वस्तुएं/व्यय मदों को पात्र स्थाई पूंजी निवेश (EFCI) की गणना हेतु शामिल नहीं किया जावेगा।

iii) अनुदान 3 साल के लॉक–इन–पीरियड्स के साथ क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड होगें और भारतीय रिजर्व बैंक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अनुसूचित बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाईयों को ही दी जायेगी।

iv) ऋण दात्री संस्थायें अनुदान राशि को अलग सब्सिडी रिजर्व फण्ड अकाउन्ट (Subsidy Reserve Fund Account) में रखेगी एवं इस राशि के संस्था को प्राप्ति तिथि से इसके समतुल्य ऋण राशि पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा।

v) अगर कोई इकाई राज्य सरकार की एक से अधिक योजनाओं में पूंजी अनुदान के लिए पात्र हैं तो आवेदक इकाई अनुदान एवं उससे संबंधित लाभ किसी एक योजना में ही प्राप्त कर सकेगी।

vi) राज्य द्वारा संचालित किसी भी प्रभावी योजना में पूंजीगत अनुदान लाभ लिये जाने पर इकाई को अतिरिक्त अनुदान (Additional Top Up Subsidy) देय नहीं होगा।

(ब) सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान

श्रेणी	ब्याज अनुदान की दर	ब्याज अनुदान सीमा (रुपये लाख में)	पूंजी एवं ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा (रुपये लाख में)
1. सभी श्रेणी के उद्यमियों के लिए			
i. कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के लिए	5 प्रतिशत	50	100
ii. कृषि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए	5 प्रतिशत	100	150
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिला/35 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमियों की शत–प्रतिशत भागीदारी वाली इकाईयों के लिए	6 प्रतिशत	कृषि प्रसंस्करण – 50 कृषि अवसंरचना – 100	कृषि प्रसंस्करण – 100 कृषि अवसंरचना – 150
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित TSP या पिछड़े जिलो में स्थापित इकाईयों के लिए	6 प्रतिशत	कृषि प्रसंस्करण – 50 कृषि अवसंरचना – 100	कृषि प्रसंस्करण – 100 कृषि अवसंरचना – 150
4. कृषक या कृषक उत्पादक संगठनों/100 प्रतिशत कृषक स्वामित्व वाली कम्पनियों या समान प्रकार के अन्य संगठनों के लिए	6 प्रतिशत	सभी प्रकार की परियोजना – 100	200

सभी श्रेणी के उद्यमियों के लिए सभी प्रकार की परियोजनाओं में ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष अथवा ऋण पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो, तक ही देय होगा।

(स) भाड़ा अनुदान

I. निर्यात व्यापार के लिए

1. ताजा फल सब्जी एवं फूलो के निर्यात पर भाड़ा अनुदान

i) हवाई मार्ग द्वारा निर्यात

a. 5.00 रुपये प्रति किलो या वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, हवाई भाड़ा अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक देय होगा।

b. जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों 10 रुपये प्रतिकिलो या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष 20 रुपये लाख की अधिकतम सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक देय होगा।

ii) समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात

a. राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक तथा देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक परिवहन पर भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, प्रत्येक मार्ग के लिए पृथक–पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।

b. जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के निर्यात करने पर राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन तथा देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक समुद्री परिवहन पर पृथक–पृथक भाड़े का 40 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।

c. सामान्य प्रकार के उत्पादों तथा जैविक उत्पादों को रेफ्रीजरेटेड कन्टेनर से परिवहन करने पर क्रमशः 700 रुपये प्रति टन तथा 1000 रुपये प्रति टन सतही व समुद्री भाड़े का पृथक–पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान सामान्य व जैविक उत्पादों के परिवहन पर वास्तविक भाड़े का क्रमशः 25 प्रतिशत व 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में ही होगा। सामान्य व जैविक उत्पादों पर यह अनुदान क्रमशः 10 लाख रुपये अधिकतम 3 वर्ष के लिए व 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष के लिए देय होगा।

2. मसाले एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पर भाड़ा अनुदान :

समुद्री मार्ग से निर्यात पर भाड़ा/परिवहन अनुदान निम्न प्रकार देय होगा–

I. सामान्य उत्पादों के लिए

a. **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं

b. **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 6000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट /20 मैट्रिक टन वजन)/ 12,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम रुपये 800 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम अनुदान रुपये 15 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

ii) जैविक उत्पादों के लिए :–

a. **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से देश के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाड़े का 40 प्रतिशत अधिकतम 1000 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं

b. **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/20,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 1500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

3. कच्चे कृषि उत्पाद पर भाड़ा अनुदान

i) **सामान्य उत्पादों के लिए**

a. **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक परिवहन करने पर वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं

b. **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 5000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम रुपये 500 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम अनुदान रुपये 10 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

ii) **जैविक उत्पादों के लिए**

a. **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से देश के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाड़े का 40 प्रतिशत अधिकतम 600 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं

b. **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 7,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/14,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

II. घरेलू व्यापार के लिए

1. फल, सब्जी एवं फूलों को भारत में दूरस्थ बाजारों तक सतही परिवहन पर देय भाड़ा अनुदान :–

a. फल फूल एवं सब्जियों को दूसरे राज्यों में तथा 300 किमी से अधिक की दूरी तक विपणन हेतु सतही परिवहन करने पर रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 15 लाख अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

b. जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के लिए रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान देय होगा।

उपरोक्त सभी भाड़ा अनुदान राजस्थान मूल के उत्पादों के निर्यात/व्यापार पर ही देय होगा।

(द) कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यापार उद्यमियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निम्न अतिरिक्त सहायता/परिलाभ देय होगें।

i) **विद्युत चार्जेज संबंधित छूट एवं विधुत संबधी छूट एवं सौर ऊर्जा**
   a. **विद्युत प्रभार अनुदान–** इस योजना के तहत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली सभी पात्र इकाईयों को 1 रू. प्रति किलो वाट की दर से अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत प्रभार का पुनर्भरण किया जाएगा।
   b. **सौर ऊर्जा अपनाने पर वित्तीय सहायता**– इस नीति के अंतर्गत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाले उद्यमों को सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता/पूंजी अनुदान देय होगा।
   c. एक उद्यम वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में उपरोक्त दोनों सहायता में से किसी एक सहायता का लाभ ले सकता है।
   d. उद्यम जो परियोजना आरंभ होने के बाद के चरण में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विकल्प अपनाते है, वे उस विकल्प को देने के समय तक पूर्व में भुगतान की गए विद्युत प्रभार अनुदान को घटाकर घटाने के पश्चात् शेष सहायता राशि के लिए पात्र होंगे।

ii) **बाजार विकास एवं विविधीकरण :** राजस्थान मूल के कृषि उत्पाद को विदेश में विपणन परीक्षण हेतु एक देश को एक नमूना भेजने पर लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा।

iii) **पेटेन्ट डिजायन पंजीकरण :** भारतीय पेटेन्ट एक्ट एण्ड भारतीय डिजायन एक्ट के अन्तर्गत पेटेन्ट एवं डिजायन के पंजीकरण हेतु अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष देय फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।

iv) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण**: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरण जैसे OHSAS, SA8000, ISO14001, ISO9000, HACCP, ISO22000, GMP, GHP FSSAI/NPOP, OHSAS, SA8000, के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले जैविक प्रमाणीकरण अथवा समय–समय पर जारी नवीनतम प्रमाणीकरण, मापदण्ड हेतु निर्धारित देय फीस का अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति उद्यम प्रति प्रमाणीकरण का पुनर्भरण किया जायेगा।

v) **परियोजना विकास सहायता:** कृषि प्रसंस्करण एवं/या कृषि व्यापार उद्यम जिन्हें विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता है, को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये 5 वर्ष की अवधि में अनुदान देय होगा और इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के पश्चात जारी किया जाऐगा।

vi) **मानव संसाधन विकास**

निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह, जो भी कम हो, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तो के अनुसार सहायता प्रदान करेगी–

a. यह सहायता अधिकतम रू. 25 लाख प्रति संस्थान प्रति वर्ष देय होगी।
b. ऐसे संस्थान संबंधित नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त/संबद्ध होने या राज्य सरकार से अनुमोदत होने चाहिए।
c. प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 से 12 माह की अवधि के एवं रोजगारोन्मुखी होना चाहिए।
d. इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास संस्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) या राज्य सरकार द्वारा चयनित अन्य संस्थान को कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने पर किये गये व्यय का भुगतान किया जाएगा।

vii) **अनुसंधान एवं विकासः** इस योजना के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रायोजित अनुसंधान कार्य प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सहभागिता शुरू किये जा सकेंगे। पात्र संस्थानों द्वारा प्रस्तुत कोई भी परियोजना प्रस्ताव राज्य समिति से अनुमोदन पर लागत के 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 20 लाख की सहायता एक वर्ष में एक बार के लिए पात्र होंगे।

viii) **संर्वेक्षण एवं अध्ययन**

a. राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के उपरांत नये बाजारों का पता लगाने, विपणन क्षेत्रों का अध्ययन, मार्केट क्षमता एवं बाजार में नवीन सुधार की आवश्यकता, विभिन्न विपणन उपायों के प्रभाव का आकलन, सामाजिक एवं प्रचार योजनाएं, व्यापार विकास एवं बाजार विपणन सर्वेक्षण इत्यादि के लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन लागू किया जाएगा।
b. स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट के छात्रों को कृषि व्यवसाय क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से समन्वय की संभावनाओं का पता लगाकर राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रसारित किये जावेगें।

5. अनुदान/वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति प्रक्रिया–

इस योजना के तहत विभिन्न अनुदानों की स्वीकृति जारी करने हेतु परिशिष्ट (iv) के अन्तर्गत वर्णित द्विस्तरीय (Two-Tier) संरचना होगी। प्रस्तावों की छठनी तथा स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अनुसार की जायेगीः

i) जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति (DLSC) पूंजीगत अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी परियोजनाओं की छानबीन करेगी तथा सभी पात्र परियोजना को जिनकी लागत 100 लाख रुपये है, उनको पूंजी अनुदान स्वीकृत करेगी और जिन परियोजना की लागत रू. 100 लाख से अधिक है, को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।
ii) वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने के पश्चात परियोजनाओं को जिस समिति द्वारा पूंजी अनुदान स्वीकृत किया था उसी के द्वारा ब्याज अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
iii) ऋणदाती बैंक/संस्था इकाई द्वारा देय किश्त तथा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक देय ब्याज के प्रमाण पत्र के बाद ब्याज अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

iv) भाड़ा/परिवहन अनुदान के सभी आवेदन पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे।

v) ब्याज एवं भाड़ा अनुदान के दावें त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

vi) अन्य परिलाभ जो बिन्दु संख्या 'द' में उल्लेखित हैं, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे।

vii) सभी अनुदान/सहायता/परिलाभ प्रस्तुतीकरण/स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। इसके साथ संबंधित स्वीकृत समिति के सदस्य सचिव को पूर्ण रूप से तैयार आवेदन पत्र की मूलप्रति मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों के ऑनलाईन करने के 15 दिन में प्रस्तुत करनी होंगी।

viii) संबंधित स्वीकृत समिति को प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आवश्यक रूप से 60 दिन में करना होंगा।

ix) प्रार्थना पत्र के निस्तारण का निर्धारित समय व्यतीत होने के पश्चात जो प्रार्थना पत्र जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा निस्तारित नहीं किये जा सकेंगे, वे स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को स्वीकृत/निस्तारण के लिए हस्तान्तरित किये जाने होगें।

6. नीति के लिए केन्द्रक अभिकरण (Nodal Agency)

इस नीति के प्रयोजनार्थ कृषि विभाग, राजस्थान सरकार केन्द्रक विभाग (Nodal Department) होगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड नीति के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रक अभिकरण (Nodal Agency) होगा।

7. नियम एवं शर्ते

i) नीति के अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने वाले उद्यम को उस पर लागू राज्य के सभी विधायी कानूनों एवं नियमों की पालना करनी होगी। नियमों के उल्लंघन करने पर योजनांतर्गत परिलाभ निरस्त/प्रत्याहारित किये जा सकते है।

ii) योजनांतर्गत परिलाभ प्राप्त करने वाले उद्यमों पर इस योजना के अन्तर्गत समय–समय पर जारी दिशा निर्देश, स्पष्टीकरण, प्रक्रियाओं में किये गये सुधार व सरलीकरण के प्रावधान लागू होंगे।

iii) योजनान्तर्गत देय प्रोत्साहनों का उपयोग केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी 'संचालन की सहमति' प्राप्ति एवं उसकी निर्धारित प्रभावी समयावधि तक ही कर सकेंगे।

8. शर्तों का उल्लंघन

योजनान्तर्गत वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर सक्षम समिति, उद्यम को जारी किये गये परिलाभों को प्रत्याहारित कर सकेगी तथा समिति की सिफारिश पर संबंधित विभाग, उद्यम द्वारा लिये गए परिलाभों की राशि को उपयोग की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल कर करेंगे।

9. क्रियान्वयन/व्याख्या हेतु प्राधिकारी

योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग, राजस्थान सरकार नोडल विभाग होगा एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड नोडल एजेन्सी होगा। योजना के किसी उपबंध के स्पष्टीकरण हेतु कृषि विभाग राजस्थान सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावेगा एवं उन प्रकरणों में कृषि विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

10. त्रुटियों का निराकरण

योजनान्तर्गत अनुदान गणना में रिकॉर्ड परयदि कोई स्पष्ट त्रुटि का आभास हो तो अनुदान जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशों में सुधार किया जा सकेगा एवं अधिक अनुदान के भुगतान की दशा

में अतिरिक्त राशि की 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित उद्यमी से वसूली कर सकेगा। योजना के अंतर्गत देय लाभों के पूर्ण उपयोग के 3 साल की अवधि उपरान्त वसूली हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

11. अपील

i) राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति, जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के आदेश के विरूद्ध अपील पर सुनवाई एवं निर्णय देने हेतु सक्षम होगी।

ii) यह अपील जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी के निर्णय प्राप्त होने के 90 दिवस में दायर कर सकेंगे।

12. राज्य सरकार द्वारा पुनर्रावलोकन

i) कृषि विभाग, राजस्थान सरकार राज्यहित में स्वःप्रेरणा से या स्वतः ही किसी भी समिति के द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को, लाभार्थी उद्यमी को सुनवाई का मौका देते हुए, आदेश को संशोधित कर सकेगी।

ii) योजना के अंतर्गत देय लाभों के पूर्ण उपयोग के 3 साल की अवधि उपरान्त वसूली हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

13. समीक्षा

राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां उपयुक्त मामलों में अपने निर्णय की समीक्षा कर सकेंगी, फिर भी किसी उद्यमी को स्वीकृत लाभों में कमी किये जाने से पूर्व संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका देना होगा। योजना के अंतर्गत देय लाभों के पूर्ण उपयोग के 3 साल की अवधि उपरान्त वसूली हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

14. नीति में संशोधन/परिवर्तन

जनहित में जब भी उचित समझे कृषि विभाग, राज्य सरकार योजना में समीक्षा या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

उप शासन सचिव
राजस्थान सरकार

नोट – इस योजना में उदृत् शब्द, परिभाषा, वाक्य, पैरा या अन्यथा वर्णित किसी बिन्दु के अर्थ में संशय/विवाद की दशा में अंग्रेजी वर्जन में वर्णित अर्थ ही मान्य होगा।

परिशिष्ठ (i)

पात्र क्षेत्र

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होगें :–

- फल और सब्जियों का प्रसंस्करण
- मसालों का प्रसंस्करण
- अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद
- तिलहन उत्पाद
- चावल और आटा पिसाई
- दाल प्रसंस्करण
- हर्बल (जड़ी–बूटी) औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद
- लघु वन उपज प्रसंस्करण
- शहद प्रसंस्करण
- दूध प्रसंस्करण
- मांस (गौ मांस के अलावा), कूक्कट एवं मत्स्य प्रसंस्करण
- पशु आहार, मुर्गी दाना, मछली दाना आदि उत्पाद
- अखाद्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण
- अन्य कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद जिसमें भोज्य सुगन्ध तथा रंग, राल (Oleoresins) तथा मशरूम उत्पाद।
- कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाईयां
- ढांचागत परियोजनाएः– वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य विकिरणन प्रसंस्करण संयत्र, शीत श्रृंखला, पैक हाउस, सरकार द्वारा घोषित पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह, रीफर वैन आदि

राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) नीति के अन्तर्गत राज्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति में सम्मिलित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

परिशिष्ठ (ii)

अपात्र क्षेत्र

निम्नलिखित क्षेत्र राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत देय परिलाभ/अनुदान/छूट के लिए अपात्र होंगे–

- तंबाकू उत्पाद, तंबाकू मिश्रित पान मसाला, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थ में किया गया निवेश
- बॉटलिंग या पैकेजिंग संयंत्र, जिसमें पीने योग्य मदिरा व बीयर एवं वातित पेय (Aerated Drinks) की बोतल बंदी /पैकेजिंग करना सम्मिलित हैं।
- गौ मांस प्रसंस्करण इकाई
- शीतल पेय के विनिर्माण, खनिज पानी/शुद्ध पानी और अन्य बोतलबंद/थैलीदार पानी का उत्पादन
- लकडी का विनिर्माण या आकार देना, सजावटी/उपष्कर निर्माण (Furniture) और लकड़ी व कॉर्क के उत्पादों का निर्माण
- जलाऊ लकडी और लकडी के कोयला का उत्पादन
- जहरीला पदार्थ प्रवाह नियंत्रण करने वाला संयंत्र रहित जहरीली गैस उत्सर्जन करने वाली प्रसंस्करण इकाई

इस नीति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) राज्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति में किसी भी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

परिशिष्ठ (iii)

पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र व्यय

1. जमीन की कीमत एवं विकास पर किया गया व्यय
2. प्राथमिक क्रियाकलापों पर किया गया व्यय (Pre operative expenses)
3. निर्माण कार्य के निम्न मदों पर व्यय–
   - i. कंपाउंड वाल
   - ii. उपागमन सड़क/आंतरिक सड़कें
   - iii. प्रशासनिक या आवास भवन या विश्राम घर/अतिथि ग्रह
   - iv. जल–पान ग्रह
   - v. मजदूर विश्राम घर/आवास ग्रह
   - vi. सुरक्षा/गार्ड रूम/बाड़े
   - vii. सलाहकारी फीस
   - viii. गैर–तकनीकी कार्य जो कूल चैन भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाईयों से सीधे संबंधित न हो/जुड़े हो
4. संयंत्र एवं यंत्र के निम्न मदों पर किया गया व्यय
   - i. मार्जिन मनी, क्रियाशील पूंजी, फूटकर व्यय या
   - ii. ईंधन, उपभोज्य, अधिशेष एवं भंडार सामग्री
   - iii. वातानुकूलित डक्टिंग, कार्यालय संबंधी फर्नीचर जो उत्पादन से सीधा न जुड़ा हो/कंप्यूटर
   - iv. रीफर ट्रक/वाहन, रेफ्रीजरेटर/इंसुलेटिड वाहन इत्यादि के अलावा परिवहन वाहन
   - v. पुराने/उपयोग में लाई गयी मशीनें
   - vi. सभी प्रकार के सेवा शुल्क
   - vii. मशीनों पर रंग–रोगन करना
   - viii. क्लोज सर्किट टीवी तथा औजारों से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था
   - ix. सलाहकारी शुल्क
   - x. लेखन सामग्री
   - xi. संयंत्र एवं यंत्र जो कूल चेन या भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाई से सीधे जुड़े नहीं हो
   - xii. अग्निशमन यंत्र, मक्खी पकड़ने का यंत्र
   - xiii. हाथ धोनें, कपड़ा धोने आदि की सुविधा जो उत्पादन प्रक्रिया से सीधे नहीं जुड़े हो

यह उपरोक्त सूची मात्र सूचक है और परिपूर्ण नहीं है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) पात्र निवेशों/वस्तुओं को सहायता को सुनिश्चित करने के लिए अपात्र निवेश के दायरे से किसी भी निवेश को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति (DLSC)

1	**जिला कलेक्टर**	**अध्यक्ष**
2	संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
3	उप/सहायक निदेशक, उद्यान विभाग	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग	सदस्य
5	सचिव, संबंधित कृषि उपज मंडी समिति	सदस्य
6	जिला मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठ लेखाधिकारी जो कोषाधिकारी से नीचे स्तर का नहीं हो	सदस्य
7	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
8	अधिशाषी अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड संबंधित खण्ड	सदस्य
9	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य
10	जिला अग्रणी प्रबन्धक, अग्रणी जिला प्रबंधक	सदस्य
11	खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक कृषि विपणन विभाग	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति (SLSC)

1	**अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कृषि विभाग**	**अध्यक्ष**
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व विभाग या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, आयोजना विभाग या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सहकारिता विभाग या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6	आयुक्त/निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
7	आयुक्त/निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
8	आयुक्त/निदेशक, उद्यान विभाग	सदस्य
9	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान	सदस्य
10	संयोजक (Convenor), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान	सदस्य
11	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विपणन विभाग	सदस्य
13	निदेशक, पशु पालन विभाग (परियोजना की आवश्यकता के अनुसार)	सदस्य
14	प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य सचिव